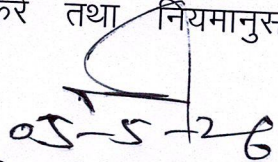


**DISTRICT AND SESSIONS JUDGE DIVISION  
IN THE COURT OF DEEPAK KUMAR-I  
Addl. District and Sessions judge-II cum special judge  
Vigilance.**

**SPL. VIGILANCE CASE NO-07/2020**

**05-05-2026**

वाद के एक मात्र अभियुक्त मो० आजाद अनुपस्थित है । अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 31.05.2019 को संज्ञान आदेश के पश्चात अभियुक्त के उपस्थिति हेतु सम्मन, BW, NBW, धारा 82 द०प्र०स० तथा 83 द०प्र०स० प्रोसेस जारी किया जा चुका है। दिनांक 23.03.2026 को लोक अभियोजक निगरानी को निर्देश दिया गया कि U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य पुस्तुत करे। 38 तिथि बीत जाने के पश्चात भी अभियुक्त आज तक अनुपस्थित है लोक अभियोजन निगरानी अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य कराना नहीं चाहते है। लोक अभियोजक निगरानी के निवेदन पर U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य बंद किया जाता है तथा अभियुक्त को फरार धोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई अधिपत्र (Permanent Warrant) जारी करे तथा नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

  
(Deepak Kumar-I)

Spl. Vigilance Judge (Trap)

Bhagalpur.